<u>स्वीकृति की मुख्य वित्तीय निबंधन एवं शर्तें</u>

(अन्य सामान्य/ विशेष शर्तें एवं निबंधन आकलन के आधार पर अनुबंधित की जाएगी)

क्र.सं.	स्वीकृति की मुख्य वित्तीय निबंधन एवं शर्तें	
1	प्रतिभूति	पीएफसी द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूति ढांचा निर्धारित किया गया है: i राज्य/केंद्र सरकार प्रत्याभूति/बैंक प्रत्याभूति/परिसंपत्तियों पर चार्ज; ii एस्क्रो खाता/साख-पत्र; नोट: - विशेष मामलों में ऋणकर्ता की क्रेडिट योग्यता के आधार पर प्रतिभूति ढांचा को संशोधित किया जा सकता है। पीएफसी निजी क्षेत्र संस्थाओं से निम्नलिखित अतिरिक्त प्रतिभूतियों/कोवनेंट में से एक या अधिक के लिए अनुरोध कर सकता है: i कॉर्पोरेट प्रत्याभूति; ii प्रमोटरों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति; iii प्रमोटरों के शेयरों की जमानत; iv समूह/अन्य कंपनियों की परिसंपत्तियों पर चार्ज; v निगम के पक्ष में सभी परियोजना सविदाओं, दस्तावेजों, बीमा नीतियों का असाइनमेंट; vi विश्वास और प्रतिधारण तंत्र की स्थापना, ताकि परियोजनाओं की सभी आय को पीएफसी द्वारा निर्धारित तरीके से उपयोग किया जा सके; vii राजस्व पर चार्ज viii निगम को स्वीकार्य कोई अन्य प्रत्याभूति। नोट: - परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में विभिन्न जोखिमों को उठाने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति की अपेक्षा का मूल्यांकन आकलन के दौरान किया जाएगा।
2 (क)	ब्याज/ अतिरिक्त ब्याज	जब तक सावधि ऋण को पूरी तरह चुका नहीं दिया जाता तब तक कंपनी पीएफ़सी को बकाया सावधि ऋण के मूलधन पर ब्याज को समय समय पर प्रत्येक संवितरण पर प्रचलित दर पर भुगतान करेगा। ऋणकर्ता द्वारा निगम को नियत तारीख में ब्याज या मूलधन का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, डिफ़ाल्ट राशि में ऋण की लागू ऋण दरों पर अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा।
2 (ख)	दंडस्वरूप ब्याज *(निर्णीत हर्जाना)*	ऋणकर्ता द्वारा निगम को नियत तारीख में ब्याज या मूलधन का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, ऋणकर्ता 2.0%* की दर से दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान निगम करेगा, जिसे तिमाही आधार पर संयोजित किया जाएगा। * *(वर्तमान में कंशोर्शियम ऋण के मामले में, दर को मामल-दर-मामला आधार पर तय किया जाता है)।*
2 (ग)	टैक्स लेवी और शुल्क	ऋण की मुद्रा के दौरान ऋणकर्ता भारत सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी आयात कर, शुल्क एवं कर या समय-समय लगाए जाने वाले अन्य प्राभरों को वहन करेगा।
3	ब्याज रीसेट	निगम को पहले संवितरण की तारीख से शुरू प्रत्येक दसवें वर्ष/ पांचवें वर्ष/ तीसरे वर्ष (यथा लागू) की समाप्ती पर अपने मतानुसार ब्याज दर को रीसेट करने का अधिकार प्राप्त है। यदि नियम द्वारा ब्याज रीसेट किया जाता है, तो वह 10वें/5वें/3वें वर्ष अवधि (यथा लागू) की समाप्ती के तुरंत बाद मानक देय तारीख से लागू किया जाएगा। ऋणकर्ता को करार ज्ञापन (एमओए) के कार्यान्वयन के समय पर रीसेट अवधि के संबंध में विकल्प देना होगा। रीसेट के उद्देश्य से, रीसेट के लिए प्रस्तावित संवितरणों की ब्याज दरें ही ऋणों की समान श्रेणियों के लिए रीसेट अवधि की समाप्ती पर वर्तमान ब्याज दरें होंगी।

<table>
<tr><td>4</td><td>आहरण की अंतिम तारीख/ ऋण समापन तारीख</td><td>जब तक पीएफसी अन्यथा सहमत न हो, समझौते पर हस्ताक्षर करते समय लिए गए निर्णय के अनुसार, कंपनी का सावधि ऋण से आहरण करने का अधिकार आहरण की अंतिम तारीख को समाप्त हो जाएगा।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पुनर्भुगतान</td><td>निगम की नीति के अनुसार पुनर्भुगतान अवधि को समय-समय पर नियमित किया जाता है। ऋणकर्ता की पे-बैक अवधि और ऋण योग्यता को ध्यान में रखते हुए पुनर्भुगतान अवधि को निर्धारित किया जाएगा और संस्वीकृति पत्र में उसको दर्शाया जाएगा। परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों की अधिकतम सीमा नीचे दी गई है:-
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>परियोजना/स्कीमों के प्रकार</th><th>(वर्षों) तक अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>हाइड्रो जेनरेशन स्कीमें</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मीटरिंग, अध्ययन, परामर्शी सेवाएं, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, सर्वेक्षण एवं अंवेक्षण, संव्यवहार तथा कम्प्यूटरीकरण स्कीमें</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>उपर्यक्त (1) एवं (2) से अन्य थर्मल जेनरेशन सहित सभी स्कीमें/परियोजनाएं</td><td>15</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>ऋण का पूर्व भुगतान</td><td>निगम से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही ऋणकर्ता ऋण की बकाया मूलधन राशि का पूर्व-भुगतान कर सकता है, जो पूर्णतः निगम के विवेक पर निर्भर होगा। पूर्व-भुगतान प्रीमियम सहित निगम द्वारा उचित पाई जाने वाली शर्तों पर ही पूर्व-भुगतान हेतु अनुमोदन दिया जाएगा।</td></tr>
</table>